भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-207

उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

जेएनयू द्वारा सेमिनार रद्द करना

†207. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:
श्री बी:मणिक्कम टैगोर .

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(कक्या सरकार या किन्हीं बाहरी एजेंसियों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा (आयोजित किए जाने वाले सेमिनारों को रद्द करने के लिए दबाव डाला था जिसमें ईरान, फिलीस्तीन और लेबनान के राजनयिक भाग लेने वाले थे;
(ख इन संगोष्ठियों को रद्द करने के (विशिष्ट कारण क्या हैं और क्या ये परिस्थितियां संभावित विरोध या अन्य सुरक्षा चिंताओं से संबंधित हैं;
(गक्या विदेशी राजनयिकों की भागीदारी वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों को रद्द करने से (अकादमिक स्वतंत्रता और खुले संवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता कम होती है;
(घक्या ऐसी गतिविधियों को रद्द किए जाने से इन देशों के साथ भारत के राजनयिक (संबंध प्रभावित होते हैं और यदि हां, तो हमारी विदेश नीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;
(ङक्या अन्य विश्वविद्यालयों में भी शैक्षणिक कार्यक्रमों के इसी प्रकार के रद्द किए जाने (अथवा व्यवधान उत्पन्न किए जाने की सूचना मिली है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(चसरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करती है कि विश्वविद्यालय बाहरी दबावों या हस्तक्षेप (विवाद का-से मुक्त होकर खुली चर्चा और वादआयोजन स्थल बने रहें?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉसुकान्त मजूमदार .)

(क) से (च): केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियमों के तहत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संस्थान हैं तथा उसके तहत बनाई गई संबंधित अधिनियमों, संविधियों और अध्यादेशों द्वारा शासित होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने सांविधिक निकायों के अनुमोदन से प्रशासन और शैक्षिक मामलों में निर्णय लेने की स्वायत्तता का प्रयोग करते हैं। कामकाज की उक्त स्वायत्तता केंद्रीय विश्वविद्यालयों को बाहरी दबाव और हस्तक्षेप से मुक्त, खुली चर्चा और वाद-विवाद हेतु अवसर प्रदान करती है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) भी

जेएनयू अधिनियम, 1966 और उसके अंतर्गत बनाए गए संविधियों और अध्यादेशों के अंतर्गत कार्यात्मक स्वायत्तता का प्रयोग करता है। विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि कोई भी सेमिनार रद्द नहीं किया गया है और यह अपने सांविधिक निकायों के माध्यम से अपने स्वयं के शैक्षणिक पाठ्यक्रम तथा गतिविधियों को विकसित और संचालित करने के लिए अपनी स्वायत्तता का प्रयोग करके भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए बहुलवादी और लोकतांत्रिक अवसर प्रदान करता है।

*****